भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 769
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना

769. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के भिवंडी में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मेंगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि, आवश्यक अवसरंचना और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का भविष्य में वहां मेंगा फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है या स्थापित करने की संभावना है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस संबंध में विस्तृत योजना और कार्यान्वयन की दिशा में कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
(घ) क्या सरकार मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत शहरी-ग्रामीण संपर्क वाले क्षेत्रों, विशेषकर जहां पहले से ही लॉजिस्टिक सुविधाएं मौजूद हैं, को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2008 से मेगा फूड पार्कों के लिए योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कीम ने हब और स्पोक मॉडल पर काम किया है। इसमें प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) में खेत के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और भण्डारण के लिए अवसंरचना बनाना और केन्द्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में सामान्य सुविधाएं और सहायक अवसंरचना बनाना शामिल । सीपीसी के पास प्रसंस्करण, पैकेजिंग, पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, व्यापार सुविधा वगैरह के लिए ज़रूरत के हिसाब से साझा अवसंरचना है। मंत्रालय खुद से कोई मेगा फूड प्रोजेक्ट नहीं बनाती है। मेगा फूड पार्क (एमएफ़पी) को चलाने, स्वामित्व और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी एक विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी)/ कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की होती है और मंत्रालय स्कीम के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार से कार्यान्वयन एजेंसियों को सिर्फ़ अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में मदद दी। स्कीम में सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 50% और दुर्गम और पहाड़ी इलाकों यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित इलाके शामिल हैं, में 75% कैपिटल ग्रांट देना परिकल्पित था। जो हर परियोजना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ रुपये तक हो सकती थी। मेगा फूड पार्क के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के लिए एसपीवी/कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को कम से कम 50 एकड़ ज़मीन का इंतज़ाम करना था। मंत्रालय ने मेगा फ़ूड पार्क बनाने के लिए स्कीम की गाइडलाइंस के हिसाब से, समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति(ईओआई) के ज़रिए इच्छुक एंटिटीज़/संगठनों से प्रस्ताव मंगाए थे। अब तक महाराष्ट्र राज्य में 3 मेगा फ़ूड पार्क को मंज़ूरी मिल चुकी है, इन एमएफ़पी का विवरण **अनुबंध** में हैं।

मंत्रालय कोई नया एमएफ़पी मंज़ूर नहीं कर सकती क्योंकि सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रतिबद्ध दायित्व के प्रावधान के साथ 01.04.2021 से स्कीम बंद कर दी है।

******

अनुबंध

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए "महाराष्ट्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एसपीवी/आईए नाम	जिला	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र नाम	अंतिम अनुमोदन की दिनांक	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमत अनुदान (करोड़ रु. में)	अनुदान जारी किया गया (करोड़ रुपए में)	स्थिति
सतारा मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	सतारा	महाराष्ट्र	06- अगस्त-14	139.33	50	45	प्रचालनरत
पैठण मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	08-मार्च- 13	124.52	48.82	43.94	प्रचालनरत
वर्धा मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	वर्धा	महाराष्ट्र	13-जनवरी-16	92.36	50	15	कार्यान्वयन के अंतर्गत